कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा / माध्य / अ–4 / कृषि / संकाय–विषय / 2019–20 दिनांक–02.09.19

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान।

विषयः– विज्ञान संकाय के अन्तर्गत कक्षा– 12 में कृषि विज्ञान विषय के संबंध में।
प्रसंगः– शासन का पत्रांकः प.4 (3)शिक्षा–1 / 2015 / पार्ट दिनांक 07.08.18 एवं इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 21.08.18, 01.10.18 तथा समसंख्यक आदेश दिनांकः 11.12.18।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के द्वारा विज्ञान वर्ग को दो वर्गों, वर्ग–''अ'' तथा वर्ग–''ब'' में विभाजित कर विज्ञान वर्ग में कृषि विज्ञान, कृषि रसायन एवं कृषि जीव विज्ञान विषय लेने एवं उनके विकल्प क्या रहेंगे, इस संबंध में स्पष्ट किया गया था। गत सत्र 2018–19 में कुछ संस्था प्रधानों द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के स्वयं के स्तर पर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के बोर्ड आवेदन पत्रों में कृषि विज्ञान विषय के साथ कृषि रसायन एवं कृषि जीव विज्ञान विषय भरवाए गए थे। यद्यपि यह परिवर्तन बिना सक्षम स्वीकृति के स्वयं के स्तर पर किया गया था, अतः ऐसे संस्था प्रधानों को कारण बताओ नोटिस देते हुए, विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भरे हुए कृषि विज्ञान विषय के साथ कृषि रसायन एवं कृषि जीव विज्ञान विषय हेतु केवल उसी वर्ष 2018–19 के लिये इस कार्यालय के प्रासंगिक आदेश दिनांक 11.12.18 से कार्योत्तर स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि ''ऐसे विद्यालयों में वर्ष 2018–19 के लिये कक्षा 12 में कृषि विज्ञान, कृषि रसायन एवं कृषि जीव विज्ञान संचालन की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है। कक्षा 11 में पूर्व में स्वीकृत विषय ही संचालित किये जाएगें, साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि कोई भी विद्यालय अथवा अधीनस्थ स्तर पर बिना सक्षम स्वीकृति के कोई विषय परिवर्तन नहीं किया जावे।''

परन्तु यह ध्यान में लाया गया है कि कुछ विद्यालयों ने उक्त आदेश दिनांक 01.10.2018 के तहत सत्र 2018–19 में कक्षा 12 के साथ–साथ कक्षा 11 में भी कृषि विज्ञान, कृषि रसायन विज्ञान एवं कृषि जीव विज्ञान संचालित कर लिया था। ऐसे विद्यार्थी, जिन के द्वारा गत सत्र 2018–19 में कृषि विज्ञान विषय के साथ कृषि रसायन विज्ञान एवं कृषि जीव विज्ञान का अध्ययन किया हैं अब वे विद्यार्थी कक्षा 12 में अध्ययनरत है।

जिन विद्यालयों के विद्यार्थियों ने गत सत्र 2018–19 में कक्षा 11 में कृषि विज्ञान विषय के साथ कृषि रसायन विज्ञान एवं कृषि जीव विज्ञान का अध्ययन किया था एवं **इस वर्ष कक्षा 12 में अध्ययनरत है तथा बोर्ड** परीक्षा हेतु **आवेदन कर रहे हैं, को इन विषयों (कृषि विज्ञान,कृषि रसायन विज्ञान एवं कृषि जीव विज्ञान) के आवेदन एवं** अध्ययन की **अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती** कि शासन की स्वीकृति के बिना कोई अतिरिक्त पद स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा विद्यालय द्वारा इस हेतु कोई मांग नहीं की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त जिन विद्यालयों में गत सत्र कक्षा 11 के विद्यार्थियों ने कृषि विज्ञान के साथ रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान का अध्ययन किया है, वे इस वर्ष कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा हेतु इन्हीं विषयों के लिए आवेदन करेंगे।

(नथमल डिडेल)
आईएएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषितः–

1 शासन उपसचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर को तदनुसार आवेदन में व्यवस्था हेतु।
3 सहायक निदेशक, शाला दर्पण, कार्यालय हाजा।
4 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक।
5 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर